

नवीन पंजीकृत वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिका लगाया जाना अनिवार्य होगी—

क्रमांक (1)	जिला (2)	अधिसूचित तिथि (3)
1	ग्वालियर	12 मार्च, 2012
2	इंदौर	20 मार्च, 2012
3	जबलपुर	30 मार्च, 2012

No. F-19-152-2005-VIII.—Pursuant to Para-2 of the “Madhya Pradesh High Security Registration Plate Scheme, 2012” notified in the Madhya Pradesh, Gazette (Extra Ordinary), dt. 17th February 2012 affixation of High Security Registration Plates on the newly registered vehicle shall be mandatory in the districts from the date shown in the table below:—

S.No. (1)	District (2)	Notified Date (3)
1	Gwalior	12 th March, 2012
2	Indore	20 th March, 2012
3	Jabalpur	30 th March, 2012

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1-3-2009-सात-शाखा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2012 से,—

- 1 अप्रैल 2012 से शहडोल जिले की तहसील सोहागपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खैरहा के पटवारी हल्का नम्बर 112 से 123 तक (12 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त धनपुरी के पटवारी हल्का नम्बर 124 से 133 तक (10 पटवारी हल्के) एवं राजस्व वृत्त बुढार के पटवारी हल्का नम्बर 134 से 151 तक (18 पटवारी हल्के) (कुल 40 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खैरहा के पटवारी हल्का नम्बर 112 से 123 तक (12 पटवारी हल्के)

राजस्व वृत्त धनपुरी के पटवारी हल्का नम्बर 124 से 133 (10 पटवारी हल्के) एवं राजस्व वृत्त बुढार के पटवारी हल्का नम्बर 134 से 151 तक (18 पटवारी हल्के) (कुल 40 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बुढार का सृजन करती है, जिसमें कुल 40 पटवारी हल्के होंगे तथा 74 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय बुढार में होगा.

2. 1 अप्रैल 2012 से शहडोल जिले की तहसील सोहागपुर एवं जैतपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खन्नौधी के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 16 (16 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त चुहिरा के पटवारी हल्का नम्बर 17 से 33 (17 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त गोहपारू के पटवारी हल्का नम्बर 34 से 51 तक (18 पटवारी हल्के) तथा तहसील जैतपुर के राजस्व वृत्त लफदा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 07 तक (7 पटवारी हल्के) (कुल 58 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील सोहागपुर के राजस्व वृत्त खन्नौधी के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 16 (16 पटवारी हल्के) राजस्व वृत्त चुहिरा के पटवारी हल्का नम्बर 17 से 33 (17 पटवारी हल्के), राजस्व वृत्त गोहपारू के पटवारी हल्का नम्बर 34 से 51 तक (18 पटवारी हल्के) तथा तहसील जैतपुर के राजस्व वृत्त लफदा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 07 तक (7 पटवारी हल्के) (कुल 58 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील गोहपारू का सृजन करती है, जिसमें कुल 58 पटवारी हल्के होंगे तथा 129 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय गोहपारू में होगा.

3. 1 अप्रैल 2012 से नीमच जिले की तहसील मनासा की सीमाएं, उसमें से तहसील मनासा के राजस्व वृत्त रामपुरा के पटवारी हल्का नम्बर 74 से 100 तक (कुल 27 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील मनासा के राजस्व वृत्त रामपुरा के पटवारी हल्का 74 से 100 तक (27 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील रामपुरा का सृजन करती है, जिसमें कुल 27 पटवारी हल्के होंगे तथा 120 ग्राम (73 आबाद ग्राम, 25 वीरान ग्राम तथा 22 वीरान डूब ग्राम, को सम्मिलित करते हुए) होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय रामपुरा में होगा.

4. 1 अप्रैल, 2012 से छिन्दवाड़ा जिले की तहसील चौरई की सीमाएं, उसमें से तहसील चौरई के राजस्व वृत्त चांद के पटवारी हल्का नम्बर 22 से 42 (21 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा उक्त दिनांक से तहसील चौरई के राजस्व वृत्त चांद के पटवारी

हल्का नंबर 22 से 42 (21 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील चांद का सृजन करती है जिसमें कुल 21 पटवारी हल्के होंगे तथा 105 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय चांद में होगा.

5. 1 अप्रैल, 2012 से बालाघाट जिले की तहसील बैहर की सीमाएं, उसमें से तहसील बैहर के राजस्व वृत्त बिरसा के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 51 (20 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील बैहर के राजस्व वृत्त बिरसा के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 51 (20 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बिरसा का सृजन करती है जिसमें कुल 20 पटवारी हल्के होंगे तथा 173 ग्राम (169 राजस्व ग्राम एवं 4 वनग्राम सम्मिलित करते हुए) होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय बिरसा में होगा.
6. 1 अप्रैल, 2012 से सिंगरौली जिले की तहसील देवसर तथा तहसील सिंगरौली की सीमाएं, उसमें से तहसील देवसर के राजस्व वृत्त बरगवां के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 34 (3 पटवारी हल्के) और पटवारी हल्का नम्बर 35 के 6 ग्राम तथा पटवारी हल्का नम्बर 44 से 49 (6 पटवारी हल्के) और राजस्व वृत्त धोंहनी के पटवारी हल्का नंबर 17 से 31 (15 पटवारी हल्के) और राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 3 (3 पटवारी हल्के) और सिंगरौली तहसील के राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 53 से 56 (4 पटवारी हल्के) (कुल 32 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील देवसर के राजस्व वृत्त बरगवां के पटवारी हल्का नम्बर 32 से 34 (3 पटवारी हल्के) और पटवारी हल्का नम्बर 35 के 6 ग्राम तथा पटवारी हल्का नम्बर 44 से 49 (6 पटवारी हल्के) और राजस्व वृत्त धोंहनी के पटवारी हल्का नम्बर 17 से 31 (15 पटवारी हल्के) और सिंगरौली तहसील के राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 3 (3 पटवारी हल्के) और राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 53 से 56 (4 पटवारी हल्के) (कुल 32 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील सरई का सृजन करती है, जिसमें कुल 32 पटवारी हल्के तथा 122 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय सरई में होगा.
7. 1 अप्रैल 2012 से सिंगरौली जिले की तहसील सिंगरौली की सीमाएं उसमें से तहसील सिंगरौली के राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 43, 49 से 52 व 57 से 63 (12 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 4 से 10 (7 पटवारी हल्के) व

पटवारी हल्का 18 के 3 ग्राम (कुल 20 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील सिंगरौली के राजस्व वृत्त माड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 43, 49 से 52 व 57 से 63 (12 पटवारी हल्के) तथा राजस्व वृत्त अमिलिया के पटवारी हल्का नम्बर 4 से 10 व (7 पटवारी हल्के) तथा पटवारी हल्का नम्बर 18 के 3 ग्राम को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील माड़ा का सृजन करती है, जिसमें कुल 20 पटवारी हल्के होंगे तथा 84 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय माड़ा में होगा.

8. 1 अप्रैल 2012 से अलीराजपुर जिले की तहसील अलीराजपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक-1 कट्टीवाड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 1 से 11 एवं 38 से 44 तथा 47 (19 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक-1 कट्टीवाड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 11 एवं 38 से 44 तथा 47 (19 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील कट्टीवाड़ा का सृजन करती है, जिसमें कुल 19 पटवारी हल्के होंगे तथा 3 वीरान ग्राम सम्मिलित कर 125 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय कट्टीवाड़ा में होगा.
9. 1 अप्रैल 2012 से अलीराजपुर जिले की तहसील अलीराजपुर की सीमाएं, उसमें से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक-3 सोंडवा के पटवारी हल्का नम्बर 37, 45, 46 एवं 48 से 69 तक (25 पटवारी हल्के) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से तहसील अलीराजपुर के राजस्व वृत्त क्रमांक-3, सोंडवा के पटवारी हल्का नम्बर 37, 45, 46 एवं 48 से 69 तक (कुल 25 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील सोंडवा का सृजन करती है, जिसमें कुल 25 पटवारी हल्के होंगे तथा 134 ग्राम (1 वीरान ग्राम एवं 26 डूब ग्राम सम्मिलित कर) होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय सोंडवा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2012

क्र. एफ. 1-3-2009-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-3-2009-सात-शा-6, दिनांक 27 फरवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 27 February 2012

No.F. 1-3-2009-VII-S-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the state Government, hereby,—

1. alter the limits of Sohagpur Tehsil of District Shahdol with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 112 to 123 (12 Patwari Halkas) of Revenue circle Khairaha and Patwari Halkas No. 124 to 133 (10 Patwari Halkas) of Revenue circle Dhanpuri and Patwari Halkas No. 134 to 151 (18 Patwari Halkas) of Revenue circle Budhar (total 40 Patwari Halkas) of Sohagpur Tehsil and create a new Tehsil Bhudhar comprising of Patwari Halkas No. 112 to 123 (12 Patwari Halkas) of Revenue circle Khairaha and Patwari Halkas No. 124 to 133 (10 Patwari Halkas) of Revenue circle Dhanpuri and Patwari Halkas No. 134 to 151 (18 Patwari Halkas) of Revenue circle Budhar (total 40 Patwari Halkas) of Tehsil Sohagpur with effect from the said date, in which the total Patwari Halkas shall be 40 and Village shall be 74. The headquarter of the said Tehsil shall be at Budhar.
2. alter the limits of Sohagpur Tehsil and Jaitpur of District Shahdol with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No.1 to 16 (16 Patwari Halkas) of Revenue circle Khannodi and Patwari Halkas No. 17 to 33 (17 Patwari Halkas) of Revenue circle Chuhiri and Patwari Halkas No. 34 to 51 (18 Patwari Halkas) of Revenue circle Gohparu of Sohagpur Tehsil and Patwari Halkas No. 1 to 7 (7 Patwari Halkas) of Revenue circle Latda of Jaitpur Tehsil (total 58 Patwari Halkas), and create a new Tehsil Gohparu comprising of Patwari Halkas No. 1 to 16 (16 Patwari Halkas) of Revenue circle Khannodi and Patwari Halkas No. 17 to 33 (17 Patwari Halkas) of Revenue circle Chuhiri and Patwari Halkas No. 34 to 51 (18 Patwari Halkas) of Revenue circle Gohparu of Sohagpur Tehsil and Patwari Halkas No. 1 to 7 (7 Patwari Halkas) of Revenue circle Lafda of Jaitpur Tehsil, with effect from the said date in which the total Patwari Halkas shall be 58 and Village shall be 129. The Headquarter of the said Tehsil shall be at Gohparu.
3. alter the limits of Manasa Tehsil of District Nimach with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 74 to 100 (27 Patwari Halkas) of Revenue circle Rampura of Manasa Tehsil and create a new Tehsil Rampura comprising of the Patwari Halkas No. 74 to 100 (27 Patwari Halkas) of Revenue circle Rampura with effect from the said date, in which the total Patwari Halkas shall be 27 and Village shall be 120 (including 73 abad village, 25 veeran village and 22 veeran submerged village). The headquarter of the said Tehsil shall be at Rampura.
4. alter the limits of Chaurai Tehsil of District Chhindwada with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 22 to 42 (21 Patwari Halkas) of Revenue circle Chand of Chaurai Tehsil and create a new Tehsil Chand comprising of Patwari Halkas No. 22 to 42 (21 Patwari Halkas) of Revenue circle Chand of Chaurai Tehsil with effect from the said date, in which the total Patwari Halkas shall be 21 and Village shall be 105. The headquarter of the said Tehsil shall be at Chand.
5. alter the limits of Baihar Tehsil of District Balaghat with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 32 to 51 (20 Patwari Halkas) of Revenue circle Birsa of Baihar Tehsil and create a New Tehsil Birsa comprising of Patwari Halkas No. 32 to 51 (20 Patwari Halkas) of Revenue circle Birsa at Baihar Tehsil with effect from the said date in which the total Patwari Halkas shall be 20 and Village shall be 173 (including 169 Revenue Villages and 4 forest villages). The headquarter of the said Tehsil shall be at Birsda.
6. alter the limits of Devsar Tehsil and Singroli Tehsil of District Singroli with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 32 to 34 (3 Patwari Halkas) and 6 village of Patwari Halkas No. 35 and Patwari Halkas No. 44 to 49 (6 Patwari Halkas) of Revenue circle

Bargawan Tehsil Devsar and Revenue circle Dhohani Patwari Halka No. 17 to 31 and Patwari Halkas No. 1 to 3 (3 Patwari Halkas) of Revenue circle Amilia and Patwari Halkas No. 53 to 56 (4 Patwari Halkas) of Revenue circle Manda of Singroli Tehsil (total 32 Patwari Halkas), and create a new Tehsil Sarai comprising of Patwari Halkas No. 32 to 34 (3 Patwari Halka) and 6 village of Patwari Halkas No. 35 and Patwari Halkas No. 44 to 49 (6 Patwari Halkas) of Revenue circle Bargawan Tehsil Devsar and Revenue circle Dhohani Patwari Halka No. 17 to 31 and Patwari Halkas No. 1 to 3 (3 Patwari Halkas) of Revenue circle Amilia and Patwari Halkas No. 53 to 56 (4 Patwari Halkas) of Revenue circle Manda of Singroli Tehsil (total 32 Patwari Halkas), with effect from the said date in which the total Patwari Halkas shall be 32 and Village shall be 122. The Headquarter of the said Tehsil shall be at Sarai.

7. after the limits of Singroli Tehsil of District Singroli with effect from 1st April, 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 43, 49 to 52 and 57 to 63 (12 Patwari Halkas) of Revenue circle Moda and Patwari Halkas No. 4 to 10 (7 Patwari Halkas) of Revenue circle Amilia and 3 village of Patwari Halkas No. 18 of Singroli Tehsil (Total 20 Patwari Halkas) and create a new Tehsil Mada comprising of Patwari Halkas No. 43, 49 to 52 and 57 to 63 (12 Patwari Halkas) of Revenue circle Mada and Patwari Halkas No. 4 to 10 (7 Patwari Halkas) of Revenue circle Amilia and 3 village of Patwari Halkas No. 18 of Singroli Tehsil with effect from the said date in which the total Patwari Halkas shall be 20

and Village shall be 84. The headquarter of the said Tehsil shall be at Mada.

8. alter the limits of Alirajpur Tehsil of District Alirajpur with effect from 1st April 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 1 to 11 and 38 to 44 and 47 (19 Patwari Halkas) Revenue circle No. 1 Katthiwara Tehsil Alirajpur and create a new Tehsil Katthiwara comprising of Patwari Halkas No. 1 to 11 and 38 to 44 and 47 (19 Patwari Halkas) of Revenue circle No. 1 Katthiwara Tehsil Alirajpur (Total 19 Patwari Halkas) with effect from the said date, in which the total Patwari Halkas shall be 19 and Village shall be 125 (including 3 veeran village). The headquarter of the said Tehsil shall be at Katthiwara.
9. alter the limits of Alirajpur Tehsil of District Alirajpur with effect from 1st April 2012 by the excluding therefrom the Patwari Halkas No. 37, 45, 46 and 48 to 69 (25 Patwari Halkas) of Revenue circle No. 3 sondwa of Tehsil Alirajpur and create a new Tehsil Sondawa comprising of Patwari Halkas No. 37, 45, 46 and 48 to 69 (25 Patwari Halkas) of Revenue circle No. 3 sondwa of Tehsil Alirajpur (Total 25 Patwari Halkas) with effect from the said date, in which the total Patwari Halkas shall be 25 and Village shall be 134 (including 1 veeran village and 26 submerged village), The headquarter of the said tehsil shall be at Sondawa.

By order and in the name of the Governor of

Madhya Pradesh,

MANOJ SHRIVASTAV, Principal Secy.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2012

क्र. एफ. 6-2-2012-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये कॉलम (4) यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों को प्रधान

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ.1-4/2018/सात/शा. 6 ----- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छिन्दवाड़ा जिले की तहसील चांद तथा तहसील चौरई की सीमाएं, उसमें से, छिन्दवाड़ा जिले की विद्यमान तहसील चांद के 27 ग्रामों— 1.पालहरी, 2.बांकानागनपुर, 3.पालादौन, 4.खुटपिपरिया, 5.मोहगांवकलां, 6.बरेलीपारमाल, 7.तेंदनी, 8.बरेलीपाररैयत, 9.मोरखा, 10.सीदप, 11.औरिया, 12.सीताझिर, 13.ग्रेठियाविस्साला, 14.हिरी, 15.ग्रेठियादवामी, 16.सांख, 17.करलई, 18.देवरीमाल, 19.देवरीरैयत, 20.कुकरई, 21.ढुटमररैयत, 22.आमाझिरी, 23.ढुटरमाल, 24.राजलवाडी, 25.खुटिया, 26.झिरिया एवं 27.केरिया को अपवर्जित करते हुए तथा उसे चौरई तहसील में समाविष्ट करते हुए, परिवर्तित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2018

पृ. क्रमांक एफ-1-4-2018-सात-शा-6.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-4-2018-सात-शा-6, दिनांक 10 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 10th September 2018

No. F 1-4/2018/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tahsil Chand and Chorai of Chhindwara District from the date of publication of this order in the Gazette by excluding the Village's 27- 1.Palhari, 2.Bankanaganpur, 3.Paladaun, 4.Khutpipriya, 5.Mohgaonklan, 6.Bareliparmal, 7.Tendni, 8.Bareliparraiyat, 9.Morkha, 10.Seedap, 11.Auriya, 12.Sitajhir, 13.Grethyavissala, 14.Hirri, 15. Grethyadvami, 16.Sankh, 17.Karlai, 18.Devrimal, 19.Devrirraiyat, 20.Kukrai, 21.Dhutamrraiyat, 22.Aamajhiri, 23.Dhutarmal, 24.Rajalwari, 25.Khutiya, 26.Jhiria and 27.Karia of the present Tahsil Chand and comprising it into Chorai Tahsil and by excluding of Chhindwara District.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG SAXENA, Dy. Secy.